

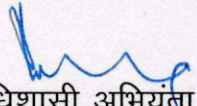
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत मोटर मार्ग का ससोला होते हुए बिजयपुर खन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 1 में मिलान।

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2010-11 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 929/ जिला योजना/ 2010-11 दिनांक 17.08.2010 द्वारा जनपद बागेश्वर में भाकड़पंत से ससोला होते हुए विजयपुर-खन्तोली मोटर मार्ग के कि.मी. 1 में मिलान लम्बाई 6.00 कि.मी. मोटर मार्ग (वन भूमि हस्तान्तरण के लिए) रु० 1.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्राम भाकड़पंत की आवादी 108, ससोला की आवादी 84, पोखरी की 222 एवं खन्तोली की 510 कुल आवादी 924 है तथा इन ग्रामों का मुख्य बाजार, स्कूल, अस्पताल, गैस गोदाम, डाकघर, बैंक आदि कांडा पड़ाव में है जहां तक पहुँचने के लिए सम्पर्क मार्ग नहीं होने से ग्रामीण जनता, छात्रों आदि को लगभग 20 कि.मी. बाहनों से धूम कर आना जाना पड़ता है। उपरोक्त सभी ग्राम जंगलों के निकट स्थित है जो पूर्व में अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। जंगलों के अनियन्त्रित कटान को रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण की व्यवस्था की गयी है। गैस वितरण केन्द्र कांडा पड़ाव में होने एवं उस स्थान तक सम्पर्क मार्ग न होने से लोगों को गैस वितरण केन्द्र का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसका विपरीत असर जंगलों पर पड़ रहा है। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को अन्य सुविधाओं के साथ साथ गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। मार्ग के संरक्षण में 2.156 है० वन भूमि एवं मात्र 250 चीड़ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 70 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है एवं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारों की निजी नाप भूमि के अलावा लगभग सभी प्रकार की भूमि को वन अधिनियम के दायरे में लिया गया है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, वनों की सुरक्षा एवं पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशायी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर